भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 490*

04 अप्रैल, **2025** को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'आयुष' में रिक्त पदों का बैकलॉग

*490. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत कुल कितने रिक्त पदों का बैकलॉग है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाले विलंब तथा उनके द्वारा विभागों के चक्कर लगाए जाने की समस्या से उन्हें राहत प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है कि भविष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का बैकलॉग न रहे तथा उन्हें समय पर भरा जाए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों का बैकलॉग भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चलाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 04 अप्रैल, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 490* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बैकलॉग रिक्तियों की कुल संख्या 44 है (एससी - 11, एसटी - 06, ओबीसी - 27)।

(ख) बैकलॉग रिक्तियों के साथ-साथ रिक्तियां होना और उनका भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। आयुष मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन नियमित रूप से भर्ती करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण रोस्टर के अनुसार सभी रिक्तियां और बैकलॉग रिक्तियां समय पर भरी जाएं।

(ग) और (घ) भारत सरकार बेहतर शासन के लिए प्रतिबद्ध है जो नागरिक केंद्रित है। भारत सरकार का समग्र दृष्टिकोण न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 29.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18011/2 (एस)/2016-स्था. (ख) (i) के माध्यम से पूर्व चरित्र सत्यापन की नीति में सुधार करने का निर्णय लिया और यह निर्धारित किया कि नियुक्ति पत्रों के मुद्दे को ऐसे सत्यापन के लंबित रहने तक रोका नहीं जाना चाहिए। डीओपीटी के दिनांक 29.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, आयुष मंत्रालय उम्मीदवारों से सत्यापन फॉर्म और स्व-घोषणा प्राप्त करने के बाद, अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी करता है जो सुनिश्चित करता है कि एससी/एसटी उम्मीदवारों सहित सभी को राहत मिले और नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 01.01.2016 से समूह 'ख' (गैर-राजपत्रित) तक के विभिन्न कनिष्ठ स्तर के पदों के लिए नियुक्ति की पद्धति अर्थात पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार बंद कर दिया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

******